


18 अप्रैल 1987

सं० एल० जी० 1-046/83-लेज०-224—बिहार विधानभव्ल द्वारा चथापारित और राज्यपाल द्वारा 14 अप्रैल, 1987 को अनुमत बिहार सम्पर्च विस्तृपण निवारण अधीनियम, 1985 का निम्नलिखित अंगूजी अनुचाइ बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधीनियम का अंगूजी भाषा में मार्यिकृत पाठ समझा जायगा ।—

प्र० २० दूर्गा
गौरी साँ



बिहार गजट

असाधारण गति

बिहार राजकारण द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र 1909 (श०)

[सं० पटना 163] पटना, शनिवार, 18 अप्रैल 1987

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

18 अप्रैल 1987

सं० एल० जी० 1-046/83-लेज०-223—बिहार विधानभव्ल का निम्नलिखित अधीनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 14 अप्रैल, 1987 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—